# प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम
# OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA THIRUVANANTHAPURAM

सं.ले.प II/प्रशा./वि.श.प्र/14-26/2022-23/
**No.Au.II/Admn/D.F.P/14-26/2022-23/**

दिनांक/Dated: 31.05.2022

## कार्यालय आदेश सं./ OFFICE ORDER No.23

**विषय:** वित्तीय शक्तियों का पुन: प्रत्यायोजन – बाबत्
**Sub:** Re-delegation of Financial Powers – reg.

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के स्थायी आदेशों (प्रशासनिक) की नियम-पुस्तिका, खण्ड II, तीसरे संस्करण की धारा क के तहत क्रम सं.7 के साथ पठित वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली, 1978 के नियम 13(3) तथा उसके तहत भारत सरकार निर्णय 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली, 1978 के अनुसूची V के तहत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) केरल को प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों को, वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं एएमजी I), मुख्य कार्यालय, तिरुवनंतपुरम तथा वरिष्ठ उप महालेखाकार (एएमजी III), शाखा कार्यालय, तृशूर को निम्नलिखित के अधीन पुन:प्रत्यायोजित करता हूँ :

In exercise of the powers conferred under Rule 13(3) of the Delegation of Financial Power Rules, 1978 and the Government of India Decision 7 thereunder read with Serial No. 7 under Section A of the Comptroller and Auditor General's Manual of Standing Orders (Administrative), Volume II, Third Edition, I hereby re-delegate the financial powers delegated to the Principal Accountant General (Audit II), Kerala under Schedule V to the Delegation of Powers Rules, 1978 to Senior Deputy Accountant General (Admn & AMG I), Main Office, Thiruvananthapuram and Sr. Deputy Accountant General (AMG III), Branch office, Thrissur subject to the following:

1. समूह अधिकारीगण, वित्तीय शक्तियों के प्रयोग में सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली, 1978 में अंतर्निहित सामान्य प्रावधानों का पालन करेंगे।
   Group Officers will follow general provisions contained in the General Financial Rules and delegation of Financial Powers Rules, 1978 in exercise of the financial powers.
2. दि. 06.01.2022 के मुख्या.कार्या परिपत्र सं. 01/2022 No.02-FMD/DFPR/01/2018 के पैरा 8 में स्थायी आदेशों की नियम-पुस्तिका में आकस्मिक व्यय उपगत करने के लिए विद्यमान शक्तियों में वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियमावली के नियम 13 तथा उसके अनुसूची के अनुसार विभागाध्यक्ष को प्रत्येक मामले (गैर-आवर्ती ) में प्रति वर्ष रु. 1,50,000/- तथा प्रत्येक आवर्ती मामले में प्रति वर्ष रु. 50,000 /- का व्यय उपगत करने की

शक्ति निश्चित की गयी है जबकि प्रति माह प्रत्येक आवर्ती मामले में कार्यालयाध्यक्ष की शक्ति 15000/- के तौर पर निश्चित की गयी है। वर्ष के दौरान सभी पारित प्रतिबद्धताओं जिन पर व्यय उपगत होगा साथ ही सभी अन्य अनुमानित व्ययों के लिए प्रावधान करने के बाद, मुख्यालय कार्यालय द्वारा (शाखा कार्यालयों के संबंध में महालेखाकार द्वारा) किए आबंटन के अंतर्गत निधियों की उपलब्धतता के अधीन सभी मदों पर आकस्मिक व्यय करने की शक्ति से संबंधित शर्त एवं सीमाओं का प्रयोग किया जाना है।

Para 8 of HQrs. Circular No.01/2022 No.02-FMD/DFPR/01/2018 dated 06.01.2022 envisaged the enhancement of the existing power to incur contingent expenditure in the Manual of Standing Orders. Accordingly, the power of Head of Department has been fixed to incur expenditure of Rs.1,50,000 p.a in each case (non-recurring) and Rs.50,000 p.a in each case (recurring) as per the Rule 13 of the Delegation of Financial Powers –Rules and Schedules thereto. Whereas the power of Head of Office is fixed as Rs.15,000 per month in each case (recurring). The conditions and limitations in respect of power of contingent expenditure on all items have to be exercised subject to availability of funds within allocation made by HQrs Office (by Accountant General in respect of Branch Offices) and after providing for all passed commitments on which expenditure will be incurred during the year as well as all other foreseeable expenditure.

3. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के प्रावधानों के साथ जोडकर लागू किया जाना है। Delegation of financial powers is to be applied in conjunction with the provisions of General Financial Rules 2017.

4. वे सुनिश्चित करेंगे कि पुन: प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का प्रयोग, प्र.म.ले (लेखापरीक्षा II)) कार्यालय, केरल के लिए उपलब्ध बजट आबंटन के भीतर होगा। They will ensure that the exercise of the re-delegated financial powers is within the budget allotment available for the O/o PAG (Audit-II), Kerala.

वित्तीय शक्तियों का संशोधित प्रत्यायोजन, दि. 06.01.2022 से प्रभावी होगा।

The revised delegation of financial powers will be effective w.e.f. 06.01.2022.

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II)

**Principal Accountant General (Audit-II)**